

# अनुसंधान एवं विकास

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली  
(आयुष) में बहिर्वर्ती अनुसंधान योजना

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी

चार अनुसंधान परिषदों नामतः

- (i) केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद्
- (ii) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्,
- (iii) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् तथा
- (iv) केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्

ने संबंधित पद्धतियों के मूलभूत और संबद्ध दोनों पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान को आरंभ करने, दिशा-निर्देश देने, विकास करने और समन्वय करने का कार्य जारी रखा। ये परिषदें संबंधित चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान के लिए शीर्षस्थ निकाय हैं और इन्हें भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उनकी अनुसंधान गतिविधियों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की गई है कि परिषदें निश्चित मानदंडों के अधीन निर्धारित समयावधि में सार्थक अनुसंधान कार्य करें तथा अनुसंधानों के परिणामों का शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं, चिकित्सकों, विनिर्माताओं तथा साधारण व्यक्तियों के लाभ के लिए प्रचार-प्रसार करें।

## केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद्

केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् की स्थापना आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में यह आयुर्वेद एवं सिद्ध चिकित्सा में वैज्ञानिक विधि से शोध कार्य प्रतिपादित करने, उसमें समन्वय स्थापित करने तथा विकास एवं समुन्नत करने के लिए की गई है। इसके क्रियाकलाप देश भर में आयुर्वेद एवं सिद्ध विश्वविद्यालयों/संस्थानों/अस्पतालों में स्थित 39 संस्थानों/केंद्रों/एककों के जरिए संपन्न किए जाते हैं। परिषद् आयु, सिद्ध एवं संबद्ध विज्ञानों के उपयुक्त अनुसंधानपरक अध्ययनों के लिए भी धन देती है। इसमें जोर व्यवस्थित अनुसंधान के जरिए नाना प्रकार के रोगों के सार्थक और अल्प खर्चीले उपचारों के खोजने पर रहता है। परिषद् के अनुसंधानपरक क्रियाकलापों में निदान और स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान, औषधि अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान तथा परिवार कल्याण अनुसंधान शामिल हैं। अब परिषद् ने न्यूट्रास्युटिकल तथा कास्मास्युटिकल अनुसंधान क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया है।

## केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्

केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1979 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई। इसका उद्देश्य यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान आरंभ करना, आर्थिक सहायता देना, इसका विकास तथा समन्वय करना है। परिषद् यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुमुखी अनुसंधान क्रियाकलापों में लगी है। परिषद् के अनुसंधान कार्यक्रमों में नैदानिक अनुसंधान, औषधि मानकीकरण, सर्वेक्षण, औषधीय पादपों की कृषि तथा साहित्यिक अनुसंधान शामिल हैं। यह अनुसंधान कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में कार्यरत 22 संस्थानों/एककों के नेट वर्क के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। इनमें दो केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान - एक-एक हैदराबाद और लखनऊ में, आठ क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान - चैन्नई, भद्रक, पटना, अलीगढ़, मुंबई, श्रीनगर, कलकत्ता और नई दिल्ली में एक-एक, छः नैदानिक अनुसंधान एकक-इलाहाबाद, बेंगलूर, करीमगंज, मेरठ, भोपाल, और बुरहानपुर में एक-एक, एक यूनानी चिकित्सा केंद्र नई दिल्ली, औषधि मानकीकरण अनुसंधान एकक- गाजियाबाद, दो औषधि मानकीकरण अनुसंधान एकक, नई दिल्ली और चैन्नई में एक एक, अलीगढ़ में एक रसायन विज्ञान अनुसंधान एकक, नई दिल्ली में एक साहित्यिक अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। परिषद् का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

## केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएच)

केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद्, (सी सी आर एच) देश में होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 30 मार्च, 1978 को हुई थी तथा होम्योपैथी में अनुसंधान के प्रतिपादन समन्वय, विकास और उन्नयन के लिए आयुष विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। परिषद् को भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित किया जाता है। परिषद् देश के विविध भागों में स्थित 37 संस्थानों और एकांशों के नेट वर्क के जरिए कार्यकर है। इन संस्थानों और एकांशों द्वारा होम्योपैथी के नाना प्रकार के क्षेत्रों में अनुसंधान किए जा रहे हैं जैसे (i) निदान अनुसंधान (ii) ओषधि प्रमाणन अनुसंधान (iii) निदान सत्यापन अनुसंधान (iv) ओषधि मानकीकरण और (v) औषधीय पादप सर्वेक्षण, संग्रहण और खेती।

### **केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्**

केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम XXI के अधीन पंजीकृत सोसाइटी है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी निकाय के रूप में कार्य करती है। परिषद् का मुख्य उद्देश्य योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रचार में वैज्ञानिक अनुसंधान करना है। परिषद् योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों को सहायता अनुदान देकर अपनी योजनाएं लागू करती है। परिषद् अग्रणीय अनुसंधान संगठनों और कार्यकर योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों को निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए राशि मुहैया कराती है -

1. नैदानिक अनुसंधान, परियोजना,
2. उपचार-सह प्रचार केंद्र योजना (20 पलंग वाला अस्पताल)
3. रोगी देखभाल केंद्र योजना (10/5 बिस्तर वाले)
4. साहित्यिक अनुसंधान/अनुवाद/प्रकाशन संबंधी कार्य,
5. संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन

### **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली**

एक अत्याधुनिक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार गुणवत्तायुक्त रोगी रक्षा सेवाएं मुहैया कराने के लिए नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। यह रेफरल संस्था के रूप में भी काम करेगा और उत्कृष्टता केंद्र के रूप विकसित किया जाएगा ताकि आदर्श सहयोगात्मक केंद्र के रूप में कार्य करने के अलावा रोगी रक्षा अनुसंधान का उच्चतम मानक निश्चित किया जा सकें। दिल्ली विकास प्रधिकरण ने सरिता विहार, नई दिल्ली में अपोलो अस्पताल के समीप 11.0 एकड़ भूमि आवंटित की है और स्थल के चारों ओर चौहद्दी बना रहा है। आधारशिला न्यास समारोह भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत द्वारा 14 फरवरी, 2004 को संपन्न किया गया। इस प्रस्ताव पर ई एफ सी की 3.10.2005 को आयोजित बैठक में विचार किया गया। ई एफ सी ने सिद्धांत रूप में प्रस्ताव का अनुमोदन किया और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एच एस सी सी (आई) लिमिटेड के जरिए परियोजना के लिए तैयार किया जा रहा है।

### **आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) में बहिर्वर्ती अनुसंधान योजना**

केंद्रीय अनुसंधान परिषदों द्वारा संचालित अंतर्वर्ती अनुसंधान के अतिरिक्त आयुष विभाग वर्ष 1998 से आयुष में बहिर्वर्ती अनुसंधान के लिए योजना चला रहा है। संशोधित योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- I. आयुष की औषधियों और उपचारों की प्रभावकारिता पर साक्ष्य आधारित प्रचार सामग्री तैयार करना।
- II. आयुष की प्रक्रियाओं और उपचारों के निवारक व संवर्धक पहलुओं पर अनुसंधान करना।
- III. आयुष के उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए सुरक्षा मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी आंकड़े तैयार करना।
- IV. आयुष के मूलभूत सिद्धांतों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना।

- V. लोगों के लाभार्थ पारंपरिक स्वास्थ्य चिकित्सकों के समुचित तथा आशाजनक उपचार और कौशल का विधि मान्यकरण कराना ।
- VI. दुर्लभ प्राचीन साहित्य को प्राप्त करके उसे पुनः सक्रिय करने के साथ-साथ आयुष के ऐतिहासिक पहलुओं पर अनुसंधान करना ।

इस योजना के अंतर्गत प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थानों को विशेष अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इस योजना के तहत सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में आयुष और मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के विभागों तथा अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । इस योजना का उद्देश्य देश के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की कार्यक्षमता का लाभ उठाना तथा आयुष के अधीन अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करना है । विषय के विशेषज्ञ को मिलाकर नई नई गठित परियोजना मूल्यांकन समितियों के जरिए परिषदों को अधिकृत किया गया है कि वे प्रस्तावों को समाचार पत्रों में खुले विज्ञापन के जरिए आमंत्रित करें । उच्च स्तरीय छानबीन समिति तब निर्दिष्ट किस्तों में धन जारी करने पर निर्णय करती है । इस योजना के अंतर्गत हो रहे अनुसंधान कार्य विभाग के अधीन विद्यमान अनुसंधान परिषदों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य के पूरक होंगे ।

**1. स्वर्णिम त्रिभुज सहभागिता परियोजना :** स्वर्णिम त्रिभुज भागीदारी अवधारण का उद्देश्य विशेष बजटीय सहायता से आधुनिक चिकित्सा पारंपरिक चिकित्सा और विज्ञान के एक साथ किए गए कार्य पर आधारित आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के विकास हेतु एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का है । इस स्कीम के अंतर्गत तीन वैज्ञानिक संगठनों जैसे आयुष विभाग/सीसीआरएएस, सीएसआईआर व आई सी एम आर चिन्हित रोग दशाओं हेतु वैज्ञानिक वैद्यीकरण, सुरक्षित प्रभावी और मानकीकृत शास्त्रीय आयुर्वेदिक उत्पादों के विकास कार्य प्रारंभ करने के लिए एक साथ कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीय/वैज्ञानिक महत्व की रोग दशाओं में नए आयुर्वेदिक एवं हर्बल उत्पादों का विकास कर रहे हैं । कार्यक्रम के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ एकल और बहु हर्बल खनिजीय उत्पादों को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय संपदा अधिकार क्षमता विद्यमान है । निम्नलिखित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है:

1. रसायन (कायाकल्पकारी/प्रतिरोध नियंत्रक) स्वास्थ्य वार्धक्य हेतु
2. जोड़ संबंधी विकार
3. स्मृति विकार
4. रजोनिवृत्ति सहलक्षण
5. श्वसनी एलर्जी
6. जनन शक्ति व अप्रजनन शक्ति
7. हृदय संबंधी विकार (हृदय रक्षक व धमनी अपकर्ष रोधी)
8. निद्रा विकार
9. आंत्र संक्षोभ सहलक्षण
10. दृष्टि विकार
11. यूरोलिथियासिस/बिनाईन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी (बीपीएच)
12. मलेरिया/फाईलेरिया/लेसमेनियासिस
13. डायबेटिज मेलीट्स
14. कुपपिक्व रसायन सहित धात्विक भस्मों और खनिज आधारित औषध योगों का मानकीकरण तथा सुरक्षा व विषाक्तता अध्ययन ।

अनुसंधान के उपरोक्त क्षेत्रों में से, 5 रोग दशाओं अर्थात् यैरोलिथियासिस व बी पी एच, निद्रा विकार, रसायन, जोड़ संबंधी विकार तथा हृदय संबंधी विकार/धमनी अपकर्ष को आयुर्वेदिक उत्पादों के प्रस्तावित अनुसंधान व विकास हेतु प्रारंभ किए जाने वाले उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है ।

प्रकीर्ण का उद्देश्य 5 वर्षों की अवधि के भीतर गोल्लगल्लर कार्य करने का शामिल करने का है । एतल्लक निन्डित श्रेण के

लिए औषधि विकास कार्यक्रम निम्नलिखित तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा:

1. रोगों और औषधियों में अंतराल की पहचान करना
2. औषध योगों, क्षमताओं व कमियों और उपचारी उपायों की पहचान करने हेतु प्रत्येक रोग दशाओं पर विचार मंथन सत्र।
3. चिन्हित औषध योगों/औषधियों में अनुसंधान का विकास
  - क मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, पेटेंट व आई पी आर संबंधी मुद्दे
  - ख चिन्हित औषधियों की सुरक्षा और विषाक्तता अध्ययन करने हेतु संस्थानों और अन्वेषकों की पहचान करना
  - ग सीमित नैदानिक मूल्यांकन हेतु केंद्रों और अन्वेषकों की पहचान करना
  - घ सुरक्षा और प्रभावकारिता संबंधी आंकड़ों का मूल्यांकन करना
- 4 प्रभावकारी औषध योगों के दस्तावेजों को तैयार करना
- 5 चयनित औषध योगों के विनिर्माण हेतु उद्योग के साथ परस्पर विचार-विमर्श करना
- 6 स्वास्थ्य प्रणाली में कार्यान्वयन हेतु चयनित उत्पादों का प्रचालनात्मक अनुसंधान
- 7 जनता में उत्पाद ले जाने हेतु विज्ञापन व जागरूकता संबंधी रणनीतियां

आयुष विभाग सीसीआरएस, सीएसआईआर तथा आईसीएमआर की संयुक्त उत्तरदायित्व के साथ जी टी पी स्कीम को कार्यान्वित करने हेतु नोडल साझीदार है। सीएसआईआर अपनी प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिकों की सेवाएं प्रदान करा रहा है। आईसीएमआर स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण नैदानिक अनुसंधान संचालित करने में सभी प्रकार की यांत्रिक सहायता उपलब्ध करा रहा है।